

न्यायालय-सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-सांचौर
(पीठासीन अधिकारी :-प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)

राजस्ववाद सं 19/2020
जीसीएमएस-2020/00052

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.वसु पुत्री भला। 2.देवू पुत्री भला। 3.मफी पुत्री भला। 4.सिणगारी देवी बेवा भला जातियान रेबारी निवासीगण पहाड़पुरा तह-सांचौर जिला सांचौर वगैरह	1.जोरा पुत्र भला। 2.गणेशा पुत्र भला। 3.हरचन्द पुत्र भला। 4.बालका पुत्र भला। 5.उमा पुत्र भला। 6.कृष्ण उर्फ कृष्णा पुत्र भला जातियान रेबारी निवासीगण पहाड़पुरा तह-सांचौर जिला सांचौर 7. राज्य सरकार जरिये भूमिधार तहसीलदार सांचौर।	

दावा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

तारीख रजु:- 12.6.2020

1. श्री इब्राहीम शाह प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री भगवाती प्रसाद बालोत प्रतिवादी सं.02 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अमजद खान प्रतिवादी सं.3 ता 6 की ओर से उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व 7 एक पक्षीय।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

दिनांक 12/6/2020

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षकारान को आदेश 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा नम्बर 148,149, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 665, 666, 667, 667/743 में खातेदारी घोषणा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है किन्तु प्रार्थीया द्वारा उपर्युक्त वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान नाम को तथा भूमि रहन होने से विभिन्न बैंको को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जबकि कानून की मंशानुसार प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार संयोजित करना आवश्यक है। ऐसी सुरत में प्रार्थीया द्वारा पेश वाद पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे। वकील प्रार्थीया ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया एवम् अप्रार्थीगण 1 ता 6 स्व. भला की सम्पत्ति के संबंध में पेश किया है, इस कारण अन्य सहखातेदारान को पक्षकारान बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अप्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज का भली-भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरा में प्रार्थीयागण की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी का अवलोकन एवं अध्ययन किया। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थीयागण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में सहखातेदारान जोगा पुत्र विरमा, नावी पत्नी मोडा, रमेश कुमार पुत्र मोडा व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर, एस.बी.आई. बैंक सांचौर, आर.एम.जी.बी.बैंक सांचौर, को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थीया अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी पक्ष में वीरमा के वारिशन को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि एक बारगी इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे, तो भी सभी अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सांचौर एवं एस.बी.आई सांचौर तथा आर.एम.जी.बी. बैंक, सांचौर को रहन रखी हुई है, जिससे सभी पक्षकारों का हित उक्त हितवद्ध है। इन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 9 के अनुसार - कुसंयोजन और असंयोजन :- कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है: परन्तु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी।

अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना (Impload) आवश्यक है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामजूर कर दिया जाएगा

(क). जहां वह वाद-हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख). जहां वादकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ). जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;

(च).

इस प्रकार सिविल प्रक्रिया के आदेश 01 नियम 9 का पालना नहीं कर बैंको व वीरमा के वारिशों को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार संयोजित नहीं किया जाता है, अतः यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा न्यायिक नजरी आर.आर.डी. 2005 पेज 450 भरतसिंह बनाम नाथुसिंह पेश की। हमने उपर्युक्त न्यायिक नजीर का ससम्मान अध्ययन-अवलोकन किया और प्रकरण के न्याय निर्णयन में इसका समुचित प्रयोग किया। अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र, प्रार्थीयागण के जवाब बहस और राजस्व रेकॉर्ड से स्पष्ट है कि भूमि एस.बी.आई, बैंक, शाखा सांचौर, बैंक ऑफ बड़ौदा सांचौर एवं आर.एम.जी.बी. बैंक, सांचौर के रहन हैं और इन बैंकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह निश्चय करने के लिए कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार है या नहीं, सही मापदण्ड निर्धारित करते हुए (1) ए.आई.आर. 1953 सु.को.521 (2) ए.आई.आर.1963 इलाहाबाद 126(पूर्णपीठ) (3) आर.आर.डी.1955 पेज 751 में निर्धारित किया गया है कि -

(1) कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं है या नहीं-सही मापदण्ड- यह निश्चय करने के लिए कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नहीं इस प्रकार है-

1. उस कार्यवाही में अर्न्तकलित मामले के बारे में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए अधिकार हो, और 2- ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं हो।

ये दोनों पूरे होने आवश्यक है।

2. खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वाद- सह काश्तकार के पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित नहीं की जा सकती। खातेदारी के हकों की घोषणा के दावे में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। (डिक्रीयों व आदेश किए गए)

इस प्रकार उपर्युक्त वाद में बैंको का हित निहित होने व बैंको की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं होने से प्रार्थना पत्र विधि से वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी.बखूबी साबित होने से हम इसे स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचननुसार अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण का धारा 212 राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम 1955 का नामजूर किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



निर्णय आज दिनांक 8/7/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

(प्रमोद कुमार आर.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)